

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या-138/2018-19

छोटानागापुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

मगन साय महतो बनाम सोहागी देवी

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता -

मगन साय महतो, पिता-शिवनाथ महतो,  
ग्राम-कोलमा लोवाहातु, पो-लोवाहातु,  
थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुरमी,  
पेशा-खेती।

क्रेता का नाम एवं पता -

सोहागी देवी, पति-कृष्णा महतो, ग्राम-सिमरटाड  
लोवाहातु, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची,  
जाति-कुरमी, पेशा-गृहिणी।

विद्वान अधिवक्ता का नाम -

श्री मनोज कुमार चौधरी।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-27/09/18 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत क्रेता सोहागी देवी, पति-कृष्णा महतो, ग्राम-सिमरटाड लोवाहातु, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-गृहिणी, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री की अनुमति माँगी हैं:-

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
कोलमा	सोनाहातु	85	37	338	0.15 ए०

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, राहे से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, राहे का पत्रांक-214(ii) दिनांक-09/07/19 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :-

- (1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत का नाम लछुमन महतो वो रामधन महतो, पेशारान लखीया महतो वगैरह है।
- (2) खतियानी रैयत/पंजी-II रैयत के साथ आवेदक का संबंध दादा-पोता/पिता-पुत्र का है।
- (3) पंजी-II के अनुसार रैयत का नाम आशाराम महतो वगैरह है, तथा रैयत के पास कुल 20.12½ एकड़ भूमि है।

8

- (4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2007-08 तक वसूली गयी है।
- (5) जमाबंदी रैयत के साथ आवेदक का संबंध पिता-पुत्र का है, तथा खतियान के अनुसार वंशानुगत जमाबंदी कायम है।
- (6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन टॉड II किस्म की है।
- (7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास रकबा 2.36 एकड़ भूमि शेष रह जाएगा।
- (8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को बीमारी के इलाज हेतु बिक्री कर रहे हैं।
- (9) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही समुदाय अन्तर्गत जाति के कुरमी हैं।
- (10) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही ग्राम कोलमा तथा थाना सोनाहातु के निवासी हैं।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, राहे ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत विक्रेता मगन साय महतो, पिता-शिवनाथ महतो, ग्राम-कोलमा लोवाहातु, पो०-लोवाहातु, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-खेती, को क्रेता सोहागी देवी, पति-कृष्णा महतो, ग्राम-सिमरटाड़ लोवाहातु, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-गृहिणी, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।


न्यायालय के द्वारा दिनांक-29/09/2018 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, राहे के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता मगन साय महतो, पिता-शिवनाथ महतो, ग्राम-कोलमा लोवाहातु, पो०-लोवाहातु, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-खेती, को क्रेता सोहागी देवी, पति-कृष्णा महतो, ग्राम-सिमरटाड़ लोवाहातु, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-गृहिणी, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा-46(i)b के तहत दी जाती है। तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।


### भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
कोलमा	सोनाहातु/85	37	338	0.15 ए०

लेखापित एवं संशोधित।

  
20/09/19  
भूमि सुधार उप समाहर्ता।

बुण्डू।

  
20/09/19  
भूमि सुधार उप समाहर्ता।

बुण्डू।